न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस

अपील सख्या 159/2011
आरसीएमएस नं. 2011/00156

बीरबल पुत्र दुलाराम जाति ब्राहम्ण साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। ––अपीलांट

बनाम

1. बनवारी (फौत)
   1/1 शंकरलाल, 1/2 रामनिवास, 1/3 पालाराम (पिसरान), 1/4 औमप्रकाश, 1/5 कलावती पत्नी (बनवारी) जाति ब्राहम्ण साकिन गोलुवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
   1/6 विमला पुत्री बनवारी पत्नी तेजाराम जाति ब्राहम्ण साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   1/7 सुलोचना पुत्री बनवारी पत्नी कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन ठेठार तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
   1/8 राजपाला पुत्री बनवारी पत्नी सोहनलाल तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
   1/9 चन्दो देवी पुत्री बनवारी पत्नी सोहनलाल त0 अबोहर जि. फाजिल्का।
2. दानी देवी पुत्री दुलाराम पत्नी प्रयागराज जाति ब्राहम्ण साकिन कानोर तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. कलावती –फौत
   3/1 ओमप्रकाश, 3/2 सत्यनारायण (पुत्रगण कलावती पत्नी कालूराम जाति ब्राहम्ण साकिन पीलीबंगा गांव)
   3/4 गीता पत्नी रूलीचन्द पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन 5 एनपीडब्ल्यू ढाणी संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।
   3/5 मनोहरी पत्नी दिवानचन्द पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन श्योपुरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   3/6 लाली पत्नी औमप्रकाश पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन मालासर तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3/7 बस्करो पत्नी लाधु पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
5. पुष्पादेवी पत्नी औमप्रकाश
6. ईमीलाल पिसरान
7. शिवकुमार स्व0 ओमप्रकाश

जाति ब्राहम्ण निवासी पीलीबंगा गांव पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान ।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांक 28.01.2008
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
प्रकरण सं0 50/2008 अनवान बीरबल बनाम बनवारी
उपस्थितिः—
श्री मदनलाल पारीक, अभिभाषक अपीलांट
श्री जगजीतसिह रमाणा रेस्पो0 सं0 1/1 से 1/9

निर्णय दिनांक 06.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व चन्द्रमुखी व श्रंगारी देवी पत्नी दुलाराम की संयुक्त खाता में चक चक 23 जेआरके बी के प. नं. 26/245 किला नं. 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.049 है0 व पत्थर नंबर 27/245 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.453 है0 दोनों पत्थरों की तादादी 5.502 है0 नहरी मय गैर मुमकिन खाला व चक नंबर 3 एसडीपी के प. नं. 7/251 किला नं. 3, 4, 7, 8, 13 ता 18 प. नं. 8/252 किला नं. 1 ता 25 कुल 12.209 हैक्टर कुल दोनों चकों की 18.105 है0 नहरी मय गैरमुमकिन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। इस भूमि में पिता दुलाराम के जीवनकाल में वादी एवं प्रतिवादी व दुलाराम का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा था। दुलाराम के फौत होने पर उसका हिस्सा उसके वारिस वादी व प्रतिवादी (अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1) व दुलाराम का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा था। दुलाराम के फौत होने पर उनका हिस्सा उनके वारिस वादी व प्रतिवादी व चन्द्रमुखी व श्रंगारी पर बहिस्सा बराबर यानि दुलाराम के इस 1/3 हिस्सा में प्रत्येक का 126 हिस्सा का हक था। प्रतिवादीया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दानी /रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने अपना हिस्सा 1/6 हिस्सा जरिये दस्तबरारी दिनांक 25.03.88 को वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर छोड़कर दस्तावेज उप पंजीयक से तस्दीक करवा दिया इसलिए उक्त भूमि में प्रतिवादीया सं0 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा। इस भूमि पर वादी का अर्सा दराज से 1/2 हिस्सा पर लागातार कब्जा काश्त है। इस भूमि बाबत पूर्व में न्यायालय मे कार्यवाही जैरकार होने के कारण व इस भूमि पर स्थगन आदेश होने के कारण इस दस्तबरदारी का अमलदरामद रिकार्ड में नहीं हेा सका। इस भूमि बाबत वादी के पक्ष में न्यायालय से दिनांक 16.01.2004 को निर्णय होने पर विपक्षी अंग्रेज सिंह वगैरा ने माननीय न्यायलाय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां अपील की गई जो दिनांक 31.10.2005 को खारिज कर वादी अपीलांट के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। इसलिए विभिन्न न्यायालयों में वर्षों से कार्यवाही लम्बित होने के कारण इस दस्तबरदारी का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में नहीं हो सका। इस दस्तावेज पर प्रतिवादीगण को पूर्ण जानकारी थी। प्रतिवादीगण को उक्त समस्त तथ्यों को एवं दस्तबरदारी की जानकारी के बावजूद भी उन्होंने आपस में मिलीभगत कर वादी/अपीलाण्ट का हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया है जो ऐसा अंकन वादी/अपीलाण्ट के अधिकारों पर प्रभावहीन है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपना हिस्सा अपने किसी एक भाई के पक्ष में नहीं छोड सकती है। उनके द्वारा छोड़ा गया हक अपने दोनों भाईयों के पक्ष में छोड़ा गया माना जावेगा। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में वादी को सूचना दिये बिना व बिना जानकारी के चक 23 जेआरके (बी) की भूमि अपने नाम 2.751 है0 गलत तोर पर दर्ज करवा लिया है। वादी ने वादपत्र में वर्णित हिस्सा अनुसार भूमि का विभाजन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा निवेदन कियाकि वाद वादी मनघडंत होने एवं फजी तैयार किये जाने के कारण मय खर्चा खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट/वादी का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रतिवादी सं0 2 दानादेवी ने जरिये पंजीकृत दस्तबरादारी से दिनांक 28.03.88 को प्रश्नगत भूमि में अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में छोड़ दिया था। जिसे साबित करने का भार वादी अपीलाण्ट पर था। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं0 2 दानो देवी द्वारा निष्पादित दस्तबरदारी प्रस्तुत की थी तथा प्रदर्शित करवाई थी। दस्तबरदारी के समय से ही अपीलाण्ट की कब्जा काश्त चल रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कानूनन एक बार पंजीकृत दस्तबरदारी द्वारा हक त्याग के बाद उसी भूमि की दस्तबरदारी विधि अनुसार शून्य होती है तथा जिसका भू अभिलेख में अंकन ना होने मात्र से पंजीकृत दस्तावेज विधिक रूप से प्रभावहीन व शून्य नही होता। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता। किसी सह अंशधारी द्वारा अपना हक व हिस्सा त्याग करने के बाद कानूनन बाकी सभी अंशधारितयों का उसी प्रकार से हक व हिस्सा बढ जावेगा। विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही लम्बित होने कारण दस्तबरदारी के मुताबिक राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं करवाया था जिसे साबित करने का भार भी वादी पर था। दस्तबरदारी को फर्जी या कूटरचित साबित करने में प्रतिवादी कतई असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2004 (1) पेज 441 एचसीडीएनजे 1995 (2) एस.सी. पेज 402 व 426 एच. सी., धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 16 व 48 सम्पति अन्तरण अधिनियम, आरआरी 2005 पेज 1236 एच. सी, आर.आर.टी 2022 (2) पेज 102, आरआरटी 2014 (1) पेज 509, आरआरडी 1984 पेज 851 एच. सी., 1994 आरआरडी पेज 226 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जिस दस्तबरदारी का वाद में हवाला दिया गया है ऐसी दस्तबरदारी का प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नही है। अगर ऐसी कोई दस्तबरदारी होती तो अवश्य ही दस्तबरदारी का नामान्तरण दर्ज होता। ऐसी दस्तबरदारी जो कूटरचित एवं फर्जी है। वादीगण द्वारा महज वाद पत्र में अंकित तथ्यों को रंगत देने के लिए झूठे मनगढंत कथन किये हैं। वादी का विवादित भूमि पर 1/2 हिस्सा के अनुसार कब्जा नही है बल्कि रिकार्ड के अनुसार वादी का 7/18 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा, चन्द्रमुखी व सिंगारी का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। एवं इसी प्रकार मौके पर काबिज हैं। प्रतिवादी सं0 1 ने कोई षड़यंत्र नहीं किया है बल्कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रतिवादी की सगी बहिनें है तथा प्रतिवादी सं0 1 के साथ स्नेह के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना हिस्सा जरिये दस्तबरदारी के दिनांक 07.08.2006 को को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन करवाई। उक्त दस्तबरदारी का वादीगण को ज्ञान था। वादी का गत 20–25 वर्षों से किसी प्रकार का मिलना जुलना नही है इस प्रकार वादी इस भूमि को पाने का हकदार नहीं है। मुताबिक दस्तबरदारी के चक 3 एचपीडी का नामान्तरण प्रतिवादी के पक्ष में हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चुका है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपना हिस्सा छोड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम होने के कारण कानूनी रूप से अपना हिस्सा जरिये दस्तबरदारी के छोड़ा गया है जो सही है। उक्त दस्तावेज को वादी के द्वारा किसी प्रकार से सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी गई है इस कारण वादी का वाद पत्र क्षेत्राधिकार विहिन मियाद बाहर व विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया गया है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी का रिकार्ड के अनुसार कब्जा है किसी प्रकार की प्रतिवादी द्वारा दखलंदाजी नही की जा रही है। मौके पर हिस्से के अनुसार अनुसार कब्जा काश्त होने तथा किसी प्रकार की प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी को कोई धमकी नही दी है। वादी को वादकारण हासिल नहीं है। विचारण न्यायालय निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अधीनस्थ न्यायालय में कुल 6 तनकियात कायम की गई हैं और यहां तनकी वाईज निर्णय किया जा रहा है।
6. तनकी नं. 1 आया प्रतिवादीया संख्या 2 दानी देवी ने जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 28.03.1988 प्रश्गनत भूमि में अपना हिस्सा वादी व प्रतिवेादी सं0 1 के पक्ष में छोड़ दिया था?'–वादी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा

तनकी सं0 1 को सिद्ध करने का भार वादी अपीलाण्ट का है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में प्रतिवादी सं0 2 दानी देवी द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट नं. 1 के पक्ष में दिनांक 28.03.88 को करवाई गई पंजीकृत दस्तबरदारी प्रस्तुत की है, जो कि इएक्सपी–3 है। इससे स्पष्ट है कि दानी देवी द्वारा अपने 1/6 हिस्सा का हक त्याग अपने भाईयों के पक्ष में तस्दीक करवाया है। परन्तु उक्त दस्तावेज कभी रिकार्ड पर नही आया। इस दस्तावेज का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ है। परन्तु कानूनन एक बार पंजीकृत दस्तबरदारी द्वारा हक त्याग के बाद पुनः उसी भूमि की दस्तबरदारी विधि अनुसार शून्य होती है तथा भू अभिलेख में अंकन ना होने मात्र से पूर्व का पंजीकृत दस्तावेज विधिक रूप से प्रभावहीन व शून्य नही होता। विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी अंशधारी द्वारा अपना हक व हिस्सा त्याग दस्तबरदारी करने के बाद कानूनन बाकी सभी सह अंशधारियों का उसी प्रकार से हक व हिस्सा बढ जावेगा। ना कि सह अंशधारियों के पक्ष में त्याग किया है का अकेले का हिस्सा बढेगा। अतः तनकी नं. 1 का निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Sd/-
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. तनकी नं. 2 आया प्रश्नगत भूमि बाबत पूर्व में विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही लम्बित रहने के कारण दस्तबरदारी दिनांक 28.03.88 के मुताबिक राजस्व अभिलेखमें अंकन नहीं करवाया था?–वादी/अपीलाण्ट

तनकी सं0 2 को सिद्ध करने का भार वादी अपीलाण्ट का था। यह सही है कि दस्तबरदारी दिनांक 28.03.88 का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद नहीं करवाया गया था। कानूनन किसी पंजीकृत दस्तावेज को अमल ना होने से पंजीकृत दस्तावेज प्रभावहीन नहीं हेाता तथा दस्तबरदारी के वक्त दस्तबरदारी हिस्सा अनुरूप ही की गई थी। मौके पर जिस प्रकार काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपना हक त्याग किया जाने से वादी का 7/18 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 /2 हिस्सा, चन्द्रमुखी व सिंगारी 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में की गई दस्तबरदारी का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद नहीं करवाया गया था। अतः तनकी नं. 2 अपीलाण्ट/वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. तनकी नं. 3 आया प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हिस्सा नहीं छोड़ सकती है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से की भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के हकदार हैं?–वादी/अपीलाण्ट

इस तनकी को सिद्ध करने का भार अपीलाण्ट/वादी पर था। प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने जरिये दस्तबरदारी दिनांक 07.08.2006 को उप पंजीयन कर्यालय से रजिस्टर्ड करवाई है। इस प्रकार प्रतिववादी संख्या 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है। अगर कोई सहअंशधारी अपना हिस्सा छोड़ता है तथा कानूनन सह अंशधारी द्वारा त्याग किया गया हक हिस्सा बाकी सभी अंशधारियों का समान रूप से प्राप्त होगा। जिसे किसी सिविल न्यायलाय में चुनौती देने की कानूनन आवश्यकता नहीं है।

9. तनकी सं0 4–आया दस्तबरदारी दिनांक 28.036.88 फर्जी व कूटरचित है?–प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 पर था। दस्तबरदारी दिनांक 28.03.88 एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे फर्ज या कूटरचित साबित करने में प्रतिवादी कतई असफल रहा है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि प्रश्नगत दस्तबरदारी फर्जी अथवा कूटरचित है। अथवा उसे किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। अतः यह तनकी अपीलाण्ट के पक्ष में रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10. तनकी सं0 5–आया वादपत्र क्षेत्राधिकार विहिन मियाद बाहर व विधि विरूद्ध है?
प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी एवं प्रतिववादी सं0 1 ता 3 प्रश्नगत भूमि के सह अंशधारी हैं। प्रतिवादी नं. 2 दानी देवी ने प्रश्नगत भूमि में अपने हक व हिस्सा की दस्तबरदारी दिनांक 28.03.88 को अपीलाण्ट व रेस्पेडेण्ट सं0 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी। इसके बाद प्रतिवादी सं0 1 ने पुनः दस्तबरदारी अपने अकेले के पक्ष में निष्पादित करवाली हो कानूनन शून्य है जिसे खारिज करवाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है। कानूनन उक्त दस्तबरदारी प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में होते हुए भी कानूनन सभी सह अंशधारियों को समान हिस्सा प्राप्त होगा। इसलिए यह वाद सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार का ना होकर राजस्व न्यायलाय के क्षेत्राधिकार का है। अतः तनकी सं0 5 अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

11. उक्त तनकी वाईज निर्णय के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है एवं वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

2. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2011 निरस्त किया जाता है एवं चक 23 जे.आर.के (बी) के प. नं. 26/245 (37) किला नं. 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 प. नं. 27/245 (38) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1,3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल दोनों पत्थरों की तादादी 5.502 है0 नहरी मय गैर मुमकिन खाला में वादी बीरबल को एवं प्रतिवादी सं0 1 बनवारी को 4.851 है0 भूमि में ब.हि.ब. के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है। चक नं. 3 एच.डी.पी. के प. नं. 7/251 (6) 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 25/1, 25/2, प. नं. 7/252 (7) किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 प. नं. 8/252 (8) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6 से 25 कुल 12.903 है0 मय गैर मुमकिन भूमि में वादी बीरबल व एवं प्रतिवादी सं0 1 बनवारी कुल 11.470 है0 के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे। रेस्पोडेण्ट्स को अपीलाण्ट/वादी के हिस्से की भूमि का कोई दस्तावेज वादी के अधिकारों के विरूद्ध निष्पादित न करे व भूमि को रहन बैय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मुन्तकिल नही करें एवं अपीलाण्ट/वादी के कब्जा में दखलअंदाजी नहीं करे। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.1.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6/1/23
(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील सख्या 159/2011
आरसीएमएस नं. 2011/00156

बीरबल पुत्र दुलाराम जाति ब्राहम्ण साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। ——अपीलांट

बनाम

1. बनवारी (फौत)
   1/1 शंकरलाल, 1/2 रामनिवास, 1/3 पालाराम — पिसरान
   1/4 औमप्रकाश, 1/5 कलावती पत्नी — बनवारी
   जाति ब्राहम्ण साकिन गोलुवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
   1/6 विमला पुत्री बनवारी पत्नी तेजाराम जाति ब्राहम्ण साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   1/7 सुलोचना पुत्री बनवारी पत्नी कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन ठेठार तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
   1/8 राजपाला पुत्री बनवारी पत्नी सोहनलाल तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
   1/9 चन्दो देवी पुत्री बनवारी पत्नी सोहनलाल त0 अबोहर जि. फाजिल्का।
2. दानी देवी पुत्री दुलाराम पत्नी प्रयागराज जाति ब्राहम्ण साकिन कानोर तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. कलावती –फौत
   3/1 ओमप्रकाश, 3/2 सत्यनारायण — पुत्रगण कलावती पत्नी कालूराम जाति ब्राहम्ण साकिन पीलीबंगा गांव
   3/4 गीता पत्नी रूलीचन्द पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन 5 एनपीडब्ल्यू ढाणी संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।
   3/5 मनोहरी पत्नी दिवानचन्द पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन श्योपुरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   3/6 लाली पत्नी औमप्रकाश पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन मालासर तहसील व जिला बीकानेर।
   3/7 बस्करो पत्नी लाधु पुत्री कलावती जाति ब्राहम्ण साकिन मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
5. पुष्पादेवी पत्नी औमप्रकाश
6. ईमीलाल } पिसरान
7. शिवकुमार } स्व0 ओमप्रकाश

जाति ब्राहम्ण निवासी पीलीबंगा गांव पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान ।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांक 28.01.2008
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
प्रकरण सं0 50/2008 अनवान बीरबल बनाम बनवारी

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनलाल पारीक, अभिभाषक अपीलांट श्री जगजीतसिह रमाणा रेस्पो0 सं0 1/1 से 1/9 की की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2011 निरस्त किया जाता है एवं चक 23 जे.आर.के (बी) के प. नं. 26/245 (37) किला नं. 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 प. नं. 27/245 (38) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1,3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल दोनों पत्थरों की तादादी 5.502 है0 नहरी मय गैर मुमकिन खाला में वादी बीरबल को एवं प्रतिवादी सं0 1 बनवारी को 4.851 है0 भूमि में ब.हि.ब. के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है। चक नं. 3 एच.डी.पी. के प. नं. 7/251 (6) 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 25/1, 25/2, प. नं. 7/252 (7) किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 प. नं. 8/252 (8) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6 से 25 कुल 12.903 है0 मय गैर मुमकिन भूमि में वादी बीरबल व एवं प्रतिवादी सं0 1 बनवारी कुल 11.470 1.470 है0 के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे। रेस्पोडेण्ट्स को अपीलाण्ट/वादी के हिस्से की भूमि का कोई दस्तावेज वादी के अधिकारों के विरूद्ध निष्पादित न करे व भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नही करें एवं अपीलाण्ट/वादी के कब्जा में दखलअंदाजी नहीं करे। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 6.1.2023 को जारी की गई।

6.1.23

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़